

## न्यायालय, समाहर्ता, जमुई

### नोटिस

आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा-6-A के तहत समाहर्ता न्यायालय, जमुई में चल रहे निम्नांकित वादों में कॉलम-5 में अंकित खाद्यान्न का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्तियों को बजरिये नोटिस गजट सूचित किया जाता है कि इन वादों में कॉलम-6 में अंकित तिथि को 03:00 बजे अपराहन में समाहर्ता न्यायालय, जमुई में सुनवाई की जायेगी :-

क्र० सं०	वाद सं०/वर्ष	थाना का नाम	थाना कांड सं०/वर्ष	राज्यसात किये जाने वाले खाद्यान्न का विवरण	सुनवाई की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	02/16	सोनो	50/16	16 क्विंटल अरबा चावल	29.11.2017
2	01/14	झाझा	118/14	06 क्विंटल चावल एवं 18 क्विंटल गेहूँ	13.12.2017
3	12/13	सिमुलतला	40/13	लगभग 04 क्विंटल अरबा चावल	13.12.2017

अतः उपरोक्त कॉलम-5 में अंकित खाद्यान्न के मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने खाद्यान्न से संबंधित सम्पूर्ण कागजातों/साक्ष्यों के साथ निर्धारित तिथि को 3:00 बजे अपराहन में समाहर्ता न्यायालय, जमुई में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि को किसी के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखे जाने की स्थिति में एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जायेगा।

इसे ताकीद जाने।

समाहर्ता,  
जमुई।

SIZE 11X2=110 SQ CM  
DOP-24.11.2017  
RO NO-9671 DT-23.11.2017  
HIDUSTAN, BHAGALPUR  
DAINIK JAGRAN, BHAGALPUR